उत्तर प्रदेश शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग–3
संख्याः 499 / अड़सठ–3–2020
लखनऊः दिनांकः 14 जुलाई, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

रिट याचिका सं0–38992 / 2017 जय राम सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य तथा उसके साथ संबद्ध अन्य याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2019 का प्रभावी अंश निम्नवत् हैः–

F. The expression "institution" as defined under the 1971 Act does not exclude a primary section which meets the test of composite integrality with a High School or Intermediate college. The contention that the benefit of the 1971 Act can only apply if all sections of a composite institution are in receipt of financial aid is negated. Teachers of primary sections attached to High Schools and Intermediate colleges, notwithstanding the fact that the said section is not in receipt of financial aid, would be entitled to the benefit of the 1971 Act.

G. In light of the 2017 amendments in the 1972 and 1978 Acts, the expression "institution" has undergone a transformative change. Since primary sections comprising of classes I to V have been statutorily deleted from the definition of an institution they would not be entitled to the benefits of the 1978 Act. Consequently, unaided primary educational institutions having classes I to V ["junior basic schools" as now defined] and those which may be attached to junior high schools would per se not be covered under the provisions of the 1978 Act.

H. The 2017 amendments to the 1972 and 1978 enactments only partially remove the basis on which Vinod Sharma-I, II, III and Pawan Kumar Dwivedi were decided. They do not appear to have removed the basis on which the Courts in the judgments aforementioned had observed that if so implemented the provisions of the statute would be viewed as discriminatory and unconstitutional. The 2017 Amendments would appear to usher in provisions of a character which were disapproved and understood to be potentially discriminatory.

I. However, no provision akin to those introduced by virtue of the 2017 amendments existed when the judgments were pronounced in Vinod Sharma-I, II, III and Pawan Kumar Dwivedi. As long as these provisions remain on the statute book, teachers of junior basic schools and primary sections attached to junior high schools would stand excluded from the coverage of the 1978 Act. However it is not in the province of this Court to rule on the validity of the amendments or enter a declaration of

invalidity. It is consequently left open to parties to assail these amendments in accordance with law, if so chosen and desired.

Accordingly and for the reasons aforementioned, these petitions stand disposed of on the following terms:-

Clause 1 of the Government Order dated 27 October 2016 to the extent of prescribing the cut off date of 21 June 1973 as well as Clauses 1.1 and 1.2 thereof are struck down as being as arbitrary and wholly irrational. The State shall in consequence revisit and reframe the impugned Policy in light of the observations made in this judgment. The orders of 13 July 2017 insofar as they defer reconsideration for a period of five years consequentially stand set aside to that extent.

Writ Petitions in Group A insofar as they relate to primary sections attached to recognised and aided high schools or intermediate colleges covered by the provisions of the 1971 Act cannot be denied the protection of that statute. The petitions in this group falling under the aforesaid class shall stand allowed. The State is consequently directed to bring teachers falling in this class within the ambit of the 1971 Act subject to the requisite exercise being undertaken to assess that they satisfy the test of composite integrality.

Writ Petitions in Group A relating to primary sections attached to junior high schools are not covered under the provisions of the 1978 Act. No relief can be granted to them in light of the 2017 Amendments. The petitions preferred at their instance shall stand disposed of subject to liberty being reserved to challenge the 2017 Amendments as introduced in the 1972 and 1978 Acts, if so chosen and advised.

Writ Petitions falling in Group B are allowed. The State shall in consequence reconsider their claims for grant in aid in light of the policy that may be framed in light of the directions issued herein above.

While Writ Petitions falling in Group C to the extent that they assailed the Government Order dated 27 October 2016 are disposed of in light of the directions issued above, no further consequential relief can be granted presently in their favour in the absence of a challenge to the 2017 Amendments introduced in the 1972 and 1978 Acts. Their right to assail these amendments is preserved to be raised in independent proceedings. Similarly writ petitions falling in group 'D' stand disposed of insofar as the challenge to the impugned Government Orders are concerned. The unaided primary sections thereof cannot be granted any relief in the absence of a challenge to the 2017 Amending Acts. Their right to assail the same is preserved. The junior high schools in this group shall however be entitled to assert their claims afresh for grant in aid in light of the conclusions recorded in the body of the judgment.

2— इस सम्बन्ध में रिट याचिका सं0—62182/2015 ग्राम विकास सेवा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इडिण्या व अन्य में पारित मा0 न्यायालय के

आदेश दिनांक 05.11.2015 व विशेष अपील (डी0) 994/2014 परिपूर्णानन्द त्रिपाठी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 05.12.2014 के अनुपालन में वित्त विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अनुदानित किये जाने के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या–1143/ 79–6–2017–भा0स0–27/2016, दिनांक–13.07.2017 द्वारा नीति निर्धारित की गयी थी जिसके प्रस्तर–8 में उल्लिखित है कि वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा में नवीन विद्यालय स्थापित किया जाना/अनुदानित किया जाना समीचीन नहीं पाया गया है। आगामी 05 वर्षो के बाद स्थिति का पुनरावलोकन किया जायेगा और यदि आवश्यकता पायी जाती है, तो तद्नुसार विचार किया जायेगा।

3– उ0प्र0 में बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया, जिसके द्वारा कक्षा 01 से कक्षा 08 तक की शिक्षा के संचालन एवं नियंत्रण का दायित्व उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद को दिया गया। परिषद के गठन के पश्चात् प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, पाठ्यक्रम, परीक्षा, अध्यापकों की भर्ती एवं निजी प्रबंधतंत्रों द्वारा संचालित विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना इत्यादि से संबंधित कार्य उसके द्वारा सम्पादित किये जा रहे हैं।

4– संविधान के अनुच्छेद–21(।) द्वारा 06 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिये जाने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। उक्त मौलिक अधिकार की सम्प्राप्ति हेतु संसद द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 पारित किया गया, जो 01 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हुआ। उक्त अधिनियम की धारा–3 में बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संबंध में निम्नवत् मौलिक अधिकार प्राविधानित हैः–

> 3. (1) छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आस–पास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।
>
> (2) उपधारा–(1) के प्रयोजन के लिए कोई बालक किसी प्रकार की फीस या ऐसे प्रभार या व्यय का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा, जो प्रारंभिक शिक्षा लेने और पूरी करने से उसे निवारित करेः

5– उक्त अधिनियम–2009 की धारा–3 में बच्चे को प्रदत्त शिक्षा के मौलिक अधिकार की प्राप्ति हेतु अधिनियम की धारा–6 में प्राविधान किया गया है कि समुचित प्राधिकारी एवं स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बच्चे की पहुंच में स्कूल स्थापित किया जायेगा। धारा–6 में समुचित प्राधिकारी एवं स्थानीय प्राधिकारी के लिए निम्नवत् दायित्व निर्धारित किये गये हैः–

> 6. इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे क्षेत्र या आस–पास की ऐसी सीमाओं के भीतर, जो विहित की

जाएं, जहॉ विद्यालय इस प्रकार स्थापित नहीं है, एक विद्यालय स्थापित करेंगे।

6— निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम—2009 के उपर्युक्त प्राविधानों से स्पष्ट है कि समुचित प्राधिकारी एवं स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु बच्चे के पड़ोस में विद्यालय की स्थापना की जायेगी, जिससे शिक्षा के संबंध में की गयी संवैधानिक व्यवस्था की सम्प्राप्ति हो सके।

7— उल्लेखनीय है कि रिट याचिका सं0—62182/2015 ग्राम विकास सेवा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 5.11.2015 के क्रम में 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम—2009' एवं 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली—2011' में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत बेसिक शिक्षा के असहायिक मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान पर लिए जाने की विगत नीति का पुनरावलोकन (Revisit) करते समय निम्नवत् वस्तुस्थिति स्पष्ट हुयी थी—

(1) 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम—2009' 01 अप्रैल,2010 से प्रभावी हुआ। उक्त अधिनियम के प्राविधानों के दृष्टिगत प्रदेश में 10364 नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं 1052 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय असेवित बस्तियों में खोले गये। अधिनियम के लागू होने के पूर्व से अब तक उ0प्र0 में बेसिक शिक्षा की सार्वभौमिक उपलब्धता हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया गया है, जिसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग में 1,13,289 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं 45,625 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। इसी के साथ लगभग 3049 सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय भी संचालित हैं, जिनमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है।

(2) परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 399272 शिक्षक/शिक्षामित्र तथा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 164003 शिक्षक/अनुदेशक कार्यरत हैं अर्थात परिषदीय विद्यालयों में कुल 5,63,275 शिक्षक/शिक्षामित्र/अनुदेशक कार्यरत हैं। इनके वेतन एवं मानदेय पर आने वाला वित्तीय व्यय भार भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 06 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु असेवित क्षेत्रों का विद्यालय खोलकर संतृप्तीकरण लगभग पूर्ण हो गया है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा वेतन/गैर वेतन मद में वर्ष 2015—16 में रू0 2485.09 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2016—17 में 3618.46 करोड़ रूपये भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके कारण राज्य सरकार को अपने स्रोतों

से अध्यापकों के वेतन पर वचनबद्ध व्यय एवं अन्य कार्यकमों पर आवश्यक व्यय करने हेतु 6103.55 करोड़ रूपये की अतिरिक्त धनराशि व्यय करनी पड़ी है।

(3) 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली–2011' के नियम–4(1) के अन्तर्गत प्राविधानित है कि कक्षा–1 से 5 तक के बच्चों के संबंध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा, जिसके 01 कि0मी0 की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नही है तथा न्यूनतम आबादी 300 है। इसी के साथ कक्षा–6 से 8 तक बच्चों के संबंध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा, जिसके 03 कि0मी0 की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नही है तथा न्यूनतम आबादी 800 है। इस प्रकार बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा गम्भीर प्रयास किये गये हैं जिसके फलस्वरूप 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की पहुँच का लगभग संतृप्तीकरण हो गया है। भारत सरकार द्वारा भी वित्तीय वर्ष 2012–13 से नवीन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु धनराशि नहीं उपलब्ध करायी जा रही है।

(4) शैक्षिक सत्र 2017 तक परिषदीय विद्यालयों में छात्र नामांकन में 23.62 लाख की गिरावट हुई है, जिसके कारण अध्यापक छात्र अनुपात औसत रूप से प्राथमिक स्तर पर 1:29 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:21 हो गया है जबकि 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009' के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर 1:30 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:35 निर्धारित है।

(5) उल्लेखनीय है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए) के प्रस्तर–2.1.82 में निम्नवत उल्लेख है–

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों (शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त) में कुल नामांकित बच्चो की संख्या जो वर्ष 2012–13 में 3.71 करोड़ थी, वर्ष 2015–16 में घटकर 3.64 करोड़ रह गयी। वर्ष 2010–16 की अवधि में शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन में कमी (18.6 प्रतिशत) हुई।

(6) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा–1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में उसके आस–पास/पड़ोस के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–1/ पूर्व प्राथमिक कक्षा की 25 प्रतिशत स्थान की सीमा तक प्रवेश दिलाये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 20 जून, 2013 एवं अद्यतन संशोधित शासनादेश दिनांक 11 मई, 2016 निर्गत किया गया है जो उस बच्चे के कक्षा–8 तक की शिक्षा के लिए मान्य है। राज्य सरकार के विशेष

प्रयास से विगत वर्षों में पर्याप्त संख्या में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश कराया गया है जिस पर आने वाला सम्पूर्ण वित्तीय व्यय भार भी शत–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जा रहा है। वर्तमान समय में धारा–12(1)(ग) के अन्तर्गत लगभग 1.50 लाख बच्चे निजी प्रबंधतंत्रों द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं।

(7) यह भी उल्लेखनीय है कि विगत 05 वर्षों अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में छात्र नामांकन में निरंतर कमी हुयी है। वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में छात्र संख्या निम्नवत् है:–

शैक्षिक सत्र	बालक	बालिका	योग
2011–12	358850	343848	702698
2012–13	229861	243420	473281
2013–14	228037	23973	467310
2014–15	248003	262835	510838
2015–16	238912	255837	494749
2016–17	232961	253231	486192
2017–18	215104	228843	443947
2018–19	204861	219389	424250

उपर्युक्त सारणी से शैक्षिक सत्र 2011–12 से शैक्षिक सत्र 2018–19 तक छात्र नामांकन में उल्लेखनीय गिरावट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रही है।

(8) उक्त के अतिरिक्त यू–डायस पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में संचालित सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूलों में नामांकित छात्र संख्या के अनुसार विद्यालयों की स्थिति निम्नवत् है–

छात्रों की संख्या	विद्यालयों की संख्या
0	17
1–10	04
11–20	15
21–30	27
31–40	42
41–50	56
51–60	86
61–70	95
71–80	106

81–90	116
योग 0–100	564
91–100	118
101–125	403
126–150	297
योग 91–150	818
महायोग 0–150	1382

प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त जू0हा0स्कलों की संख्या 3049 है। इनमें से 564 अर्थात लगभग 19 प्रतिशत विद्यालयों में छात्रों की संख्या 100 से कम है। 90 से 150 तक नामांकन वाले विद्यालयों की संख्या 818 है। इस प्रकार 1382 अर्थात लगभग 46 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं, जिनकी छात्र संख्या 150 तक है। इससे भी स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा शासकीय सहायता प्रदान करने के बावजूद अधिकांश विद्यालयों में छात्र नामांकन अत्यन्त कम है।

8— उपर्युक्त स्थिति में रिट याचिका सं0–38992/2017 जय राम सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य तथा उससे सम्बद्ध अन्य याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2019 के अनुपालन में प्राथमिक शिक्षा के मान्यता प्राप्त असहायिक विद्यालयों के संबंध में विगत वर्षों की स्थापित नीति का पुनरावलोकन (Revisit) किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त पाया गया कि सम्प्रति प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किये जाने एवं जो विद्यालय पूर्व में स्थापित हैं उन्हें आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराते हुए विकसित किया जाना आवश्यक है जिससे विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हो सके। इस हेतु छात्र संख्या के आधार पर अध्यापकों की तैनाती (समायोजन), छात्रों एवं अध्यापकों की नियमित उपस्थिति, पठन–पाठन का नियमित अनुश्रवण किया जाये जिससे छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर में वृद्धि हो सके। यदि नये विद्यालयों को अनुदान पर लिया जायेगा तो निश्चित रूप से राज्य सरकार पर वित्तीय व्यय भार पड़ेगा और पूर्व संचालित विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं व शैक्षिक गुणवत्ता के सुधार हेतु अन्य योजनाएं प्रभावित होंगी। अतः नये निजी विद्यालयों को अनुदान पर लेना उचित नहीं है। अतः प्राथमिक शिक्षा में नवीन परिषदीय विद्यालय स्थापित किया जाना अथवा निजी विद्यालयों को अनुदानित किया जाना समीचीन नहीं पाया गया है।

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–499(1)/अड़सठ–3–2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0।
2– राज्य परियोजन निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0, लखनऊ।
3–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/एस0सी0ई0आर0टी0,उ0प्र0,लखनऊ।
4–सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज।
5–समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6–समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
7–समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
8–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0वी0 सिंह)
विशेष सचिव